UPBS120006692022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

मूलवाद सं० 529/2022

नजरूल्लाह बनाम अब्दुल लतीफ

03.11.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6ग2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि आराजी सं० 193 रकबा 0.321 हे० प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र अ,ब,स,द के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10ग1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 11ग1, नकल खसरा कागज सं० 12ग1, छायाप्रति राजस्व मानचित्र कागज सं० 13ग1 दाखिल किया गया है। खसरा एवं खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि आराजी सं० 193 रकबा 0.321 हे० वादी के नाम तनहा संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अन्यथा वादी के दावे का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

आदेश

प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। नियत तिथि तक प्रतिवादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि विवादित भूमि गाटा सं० 193 रकबा 0.321 हे० (यथा प्रदर्शित राजस्व मानचित्र), में वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप न करें। वादी आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन अविलम्ब करे। अनुपालन न करने की स्थिति में उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 17.11.2022 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8ग2 प्रतिवादी पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।